केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :49 अंक 96 बुधवार 28 अक्टूबर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

पूर्व मंत्री रामकरन आर्य रिहा, समर्थकों ने किया स्वागत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सपा नेता और महादेवा विधानसभा के पूर्व मंत्री, विधायक रामकरन आर्य जेल से रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई से इलाके की राजनीति में हलचल की उम्मीद है। टांडा पुल और नगर बाजार में समर्थकों ने उनका स्वागत किया।

रामकरन आर्य चार बार विधायक रहे हैं। वे 1989 में जनता दल से और 1993, 2002, 2012 में सपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। सपा सरकार में उन्होंने राज्य मंत्री का काम किया।

शंभूशरण पाल हत्याकांड में जिला अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाद में इस सजा को 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया। उनकी रिहाई से 311–महादेवा विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा तेज है। उनके बेटे विजय विक्रम आर्य सक्रिय हैं और सपा से टिकट के दावेदार रहे हैं। आगामी चुनाव में पिता–पुत्र की भूमिका पर अटकलें शुरू हो गई हैं।

हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। छावनी थाना क्षेत्र में हत्या से जुड़े करीब छह साल पुराने मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को एडीजे प्रथम कोर्ट, बस्ती ने दोनों दोषियों पर 12–12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह

पुलिस के अनुसार, इस मामले में 10 जून 2020 को छावनी थाना क्षेत्र के पूरे अलाबल, पोस्ट अमारी बाजार निवासी दुर्गावती ने अपने पति राजेश उर्फ नेकीराम के संबंध में थाने में तहरीर दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और छावनी पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मतदाता सूची के लिये 29 नवम्बर तक विशेष अभियान

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। अर्हता तिथि 01.01.2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रो की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 के तहत 21, 22, 28 और 29 नवंबर 2026 को विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञान चन्द्र गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को अभियान की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान सभी निर्धारित पदाभिहित स्थलो पर पदाभिहित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित होंगी तथा नाम जोड़ने, हटाने और विवरणों में संशोधन के लिए निर्धारित फार्म – 6, 6ए, 7 एवं 8 इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने तथा आवश्यक सुधार के लिए निर्धारित तिथियों में आवेदन करने की अपील की है।

चार लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी

लखनऊ (आभा)। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर कुल 17,542 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। निर्माण कार्य को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा झांसी–ललितपुर में भंडारण क्षमता बढ़ाने, ग्रेटर नोएडा में निवेश और प्रयागराज में आवासीय सुविधाओं के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी अहम फैसले लिए गए।

यूपीडा के प्रस्ताव के तहत चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर सहमति दी गई है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों की कुल लंबाई करीब 90 किलोमीटर होगी। वहीं, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों की कुल लंबाई 106 किलोमीटर और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई 74 किलोमीटर प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।

सचिवों की हड़ताल से सहकारी समितियों पर लटके ताले

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नियमित वेतन की मांग को लेकर साधन सहकारी समितियों के सचिवों का आंदोलन जारी है। लखनऊ में सचिवों के धरने के चलते जनपद के अधिकांश सहकारी समतियों पर ताला लटक रहा है। संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ अध्यक्ष दिनेश कुमार उपाध्याय ने सरकार से मांग किया कि नियमित वेतन की मांग को स्वीकार किया जाय जिससे सचिवों और किसानों का संकट दूर हो। कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक है।

संघ अध्यक्ष दिनेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि नियमित वेतन

–बोआई के सीजन में खाद के लिए भटक रहे किसान

समेत लंबित मांगों को लेकर सचिव 22 अक्तूबर से लखनऊ में धरना दे रहे हैं। मांगों के समाधान के लिए आवाज उठाई जा रही है। जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होने दावा किया कि बी. पैक्स बसडीला, सजनाखोर, बागडीह, महसनि, दरियापुर के साथ ही जनपद की सभी समितियां बंद है। कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती काम काज बंद रहेगा।

एमएलसी चुनाव:भाजपा–सपा में कांटे की टक्कर

लखनऊ (आभा)। यूपी में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे विधान परिषद (एमएलसी) के शिक्षक और स्नातक खंड के वोटों की काउंटिंग जारी है। 11 में से आठ सीटों पर रुझान आने लगे हैं। भाजपा–सपा चार–चार सीटों पर आगे हैं। विधान परिषद के खंड स्नातक की पांच और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों पर चुनाव हुआ है। लखनऊ स्नातक और शिक्षक, वाराणसी स्नातक और शिक्षक, आगरा स्नातक और शिक्षक, मेरठ स्नातक और शिक्षक, इलाहाबाद–झांसी स्नातक, बरेली–मुरादाबाद शिक्षक और गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना हो रही है। 11 सीटों पर हुए चुनाव की गिनती प्रदेश के सात जिलों में हो रही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी पहले चरण में आगे चल रहे हैं। वहीं लखनऊ में वैध–अवैध मतपत्रों को लेकर हंगामा हो गया।

उद्योग बंधु की बैठक में समस्याओं के निस्तारण पर जोर

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) ज्ञान चन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में उद्योग बंधु व वाणिज्य बंधु की बैठक आयोजित की गयी। उन्होने बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्यमियों व व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाय। किसी भी दशा में जन समस्याए लम्बित न रहने पायें। उत्तरदायित्व में शिथिलता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेंगी।

बैठक का संचालन कर रहे उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन ने बताया कि उद्यमियों से संबंधित अबतक कुल निवेशमित्र पोर्टल पर 389 प्रकरण आनलाइन प्राप्त हुए है, जिसमें 249 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। कुल 09 आवेदन पत्र का निरस्तीकरण किया गया है, जबकि 71 आवेदन पत्र विभिन्न विभागों में विचाराधीन है। उन्होने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना, हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. पर विचार सहित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होने बताया कि विभागीय निर्देश के क्रम में उद्यमियों की समस्याओं का शीघ्रता से निस्तारण किया जा रहा है।

बैठक में उद्यमी व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अपनी समस्याए रखी गयी। चेम्बर्स आफ कामर्स के महासचिव एच.सी. शुक्ला ने बताया कि इण्डस्ट्रियल एरिया में जलनिकासी की समस्या के निदान की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। मुख्य बिंदुओ में दीपावली के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा त्योहार के पहले चरणबद्ध रूप से मिठाई के प्रतिष्ठानों की जाचें इस प्रकार की जाए, जिससे व्यापारियों को कोई समस्या न हो, संबंधी मॉग रखी गई, दक्षिण दरवाजा चौराहे से मंगल बाजार को जाने वाली सड़का का चौडीकरण न होने से व्यापारियों को हो रही समस्या, बभनान मार्केट की विभिन्न समस्याएं उठाई गयी।

अपर जिलाधिकारी ने संबधित विभागों को निर्देशित करते हुए समस्याओं के निराकरण हेतु उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया। व्यापारियों द्वारा गांधीनगर में मल्टीलेवल पार्किगं की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

खोया पाया शिविर में 32 बच्चों समेत 150 बिछड़ों को अपनों से मिलाया

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। समाचार–पत्र वितरक जन कल्याण सेवा समिति की ओर से दुर्गा पूजा में लगाए गए शिविर में 32 बच्चों समेत लगभग 150 बिछड़ों को अपनों से मिलाया। जयप्रकाश गोस्वामी के संयोजन में शिविर आयोजित हुई। बताया कि 35 वर्षो से यह सिलसिला अनवरत जारी है।

संरक्षक डा. वीके वर्मा ने कहा कि खोया पाया शिविर की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। बिछड़ों को मिलाना पुनीत कार्य है। मेला, पर्व, त्योहारों पर खोया पाया शिविर द्वारा जिस प्रकार से जयप्रकाश गोस्वामी और उनके साथी पूरी निष्ठा से सेवा देते हैं वह अनुकरणीय है।

शिविर को संचालित कराने में मुख्य रूप से रोली सिंह, प्रदीप सिंह पिंकू' अनिल दुबे, ब्रम्हदेव यादव, सिद्धार्थशंकर मिश्र, बालकृष्ण तिवारी, रामअधार पाल, सीए अजित चौधरी, अंकुर वर्मा, नवीन पाल, दुर्गेश मिश्र, महेन्द्र तिवारी, वृजेश मिश्र, राजेश्वर तिवारी, मनोज यादव, अनुराग श्रीवास्तव, बब्लू तिवारी, आर. एन. सोनी, विजय प्रकाश गोस्वामी, विवेक मिश्र, विजय मिश्र, मनमोहन श्रीवास्तव 'काजू' राम प्रताप सिंह, रविशंकर शुक्ल, परमेश्वर शुक्ल पप्पू, रामानन्द पाण्डेय 'नन्हे', मनोज सिंह, चौधरी भूपेन्द्र पटेल, अतुल पाण्डेय मोनू, आदि ने सहयोग किया।

मांगे न मानी गई तो शिक्षकों का बीएसए कार्यालय पर धरना 6 को

-सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के बावजूद शिक्षकों की पदोन्नित प्रक्रिया अधर में-उदयशंकर शुक्ल
-पदोन्नित आदेश न हुआ तो तेज होगा आन्दोलन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल और जिला मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी, सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही अन्य सम्बंधित अधिकारियों को पत्र देकर कहा है कि यदि 15 सूत्रीय प्रमुख मांगों का शीघ्र निस्तारण न हुआ तो 6 नवम्बर से बीएसए कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जायेगा।

प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी देते हुये संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने बताया कि शिक्षकों की पदोन्नित, प्रभारी प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान, अनियमित रूप से काटे गये जीआईएस की वापसी सहित अन्य मांगों को लेकर बीएसए, लेखाधिकारी समेत सम्बंधित अधिकारियों को

अनेको पत्र, ज्ञापन दिया गया किन्तु स्थितियां ज्यों की त्यो बनी हुई हैं। इससे शिक्षकों में आक्रोश है। उच्चाधिकारी भी इस सम्बन्ध में अभी तक चुप्पी साधे हुये हैं। ऐसी स्थिति में मांगे न मानी गयी तो 6 नवम्बर से बीएसए कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जायेगा।

संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने बताया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आदेश जारी कर कहा है कि 23 अक्टूबर तक वरिष्ठता सूची, पात्रता सूची और रिक्त पदों की सूची बीएसए सचिव परिषद कार्यालय को भेंज दें और 7 नवम्बर तक पदोन्नित आदेश जारी कर दे। इसके बावजूद बस्ती में बीएसए द्वारा अभी तक वरिष्ठता सूची का अनन्तिम प्रकाशन भी नहीं किया गया। इससे अध्यापकों की पदोन्नित बाधित हो जायेगी। इसे देखते हुये 6 नवम्बर से बीएसए कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। जिससे 7 नवम्बर को शिक्षकों का पदोन्नित आदेश जारी कराया जा सके।

सम्बंधित उच्चाधिकारियों को भेजे पत्र में वरिष्ठता सूची जारी कर पदोन्नति पूरी करने, इंचार्ज प्रधानाध्यापकों के वेतन का भुगतान करने, जीआईएस/जीआईएसएस से जुड़े लंबित भुगतानों का निस्तारण करने, आकस्मिक अवकाश और वेतन कटौती की समस्याएं दूर करने तथा निलंबित शिक्षकों के मामलों का जल्द निस्तारण, जनगणना ड्यूटी में आ रही परेशानियों को दूर करने आदि की मांग किया गया है।

प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान विवाद मामले में 6 पुलिसकर्मी निलम्बित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए हंगामे के मामले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंगलवार शाम की गई इस कार्रवाई के साथ ही संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है। निलंबित पुलिसकर्मियों में दो उपनिरीक्षक, एक हेड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल शामिल हैं।

निलंबित पुलिसकर्मियों में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स चौकी प्रभारी एसआई सुधीर कुमार त्रिपाठी, दक्षिण दरवाजा चौकी प्रभारी एसआई अमित कुमार, दक्षिण दरवाजा चौकी के हेड कांस्टेबल संजय कुमार यादव, संतोष कुमार गुप्ता, कांस्टेबल कमलेश कुमार गौंड और धर्मेंद्र यादव शामिल हैं। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 11रू30 बजे पिपरा रामकिशुन से

प्रतिमा लेकर विसर्जन के लिए निकले जुलूस में सूर्या हॉस्पिटल के पास हंगामा हो गया था। जुलूस में शामिल लोगों ने एक समुदाय के कुछ लोगों पर प्रतिमा खंडित करने का आरोप लगाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस दौरान अस्पताल चौराहे पर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। काफी देर तक समझाने–बुझाने के बाद जुलूस आगे बढ़ा, लेकिन रोडवेज चौराहे पर दोबारा जाम लगा दिया गया। स्थिति संभालने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत को मौके पर पहुंचना पड़ा। मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी प्रतिमा लेकर विसर्जन के लिए आगे बढ़े। देर रात करीब दो बजे तक हंगामे की स्थिति बनी रही।

मंगलवार को भोला जायसवाल की तहरीर पर 10 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

पर्यावरणविद् डा. अनिल प्रकाश जोशी की 'प्रकृति साइकिल यात्रा' का डा. वी.के. वर्मा ने किया गोटवा में स्वागत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति संवर्धन के लिए अलख जगाने निकले देश के जाने–माने पर्यावरणविद् डा. अनिल प्रकाश जोशी की 'प्रकृति साइकिल यात्रा' मंगलवार को गोटवा पहुंची। वरिष्ठ चिकित्सक डा. वी.के. वर्मा ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया।

डा. अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि मनुष्य का अस्तित्व तभी सुरक्षित है जब वह प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करे।

पटेल एसएम एच हास्पिटल एण्ड पैरामेडिकल कालेज के प्रबंधक डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि प्रख्यात पर्यावरणविद पद्मश्री डॉ. अनिल प्रकाश जोशी की यह यात्रा केवल एक शारीरिक सफर नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति गहरी संवेदना और एक बड़े सामाजिक बदलाव का संदेश लेकर आई है। 16 सदस्यीय समर्पित टीम के साथ दो अक्टूबर को नेपाल के जनकपुर से शुरू हुई यह 4000 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा देश के कई हिस्सों से गुजरते हुए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही है। 80 की उम्र में डॉ. जोशी का यह अदम्य साहस और समर्पण हर किसी को हैरान भी कर रहा है और प्रेरित भी कर रहा है। कहा कि पर्यावरण और जल–जंगल–जमीन को बचाना केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक का परम कर्तव्य है. अगर हम आज जल की बर्बादी नहीं रोकेंगे, वर्षा जल का संचयन नहीं करेंगे और पेड़–पौधे नहीं लगाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के पास जीने के लिए सुरक्षित वातावरण नहीं बचेगा।

स्वागत करने वालों में डा. वी. के. वर्मा के साथ अनेक क्षेत्रीय नागरिक, चिकित्सक, मेडिकल के छात्र उपस्थित रहे।

अवैध कच्ची शराब की बिक्री रोकने की मांग: निषाद पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को निर्बल इण्डियन शोषित हमारा दल ' निषाद पार्टी' जिलाध्यक्ष संगठन संदीप कुमार निषाद के नेतृत्व में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर छावनी थाना क्षेत्र के केनौना चौकी अर्न्तगत केनौना गांव में चल रहे अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगाने और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग किया है।

एसपी को दिये ज्ञापन में कहा गया है कि केनौना चौकी क्षेत्र के केनौना गांव में अवैध कच्ची शराब की सुनियोजित बिक्री कराया जा रहा है। ऐसे में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम गठित कर जांच कराने और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाय।

निषाद पार्टी' जिलाध्यक्ष संगठन संदीप कुमार निषाद ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार के कारण नागरिकों का जीवन प्रभावित हो रहा है। युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं और छात्रों की शिक्षा पर भी इससे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। केनौना गांव के लोग शराबियों के उत्पात से त्रस्त हैं।

एसपी को ज्ञापन देने के दौरान रामवृक्ष निषाद, अभिषेक मिश्र, बब्लू राना, कैफिलवरा, प्रवीन चौधरी, सन्तोष निषाद, सुखदेव निषाद, जगराम निषाद, मनीषा निषाद, जगराम निषाद, रानी निषाद, बाबूराम निषाद, अभयदेव आदि शामिल रहे।

सूचना अधिकार से जानकारी मांगा तो प्रधान के भतीजे ने मारा पीटा: डीएम, एसपी से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रूधौली थाना क्षेत्र के मूड़ाडीहा निवासी प्रवीन चौधरी पुत्र दिनेश कुमार ने मंगलवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग किया है। डीएम और एसपी को दिये पत्र में प्रवीन चौधरी ने कहा है कि उन्होने रूधौली विकास खण्ड क्षेत्र के मूडाडीहा उर्फ भोपालपुर के ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार द्वारा कराये गये विकास कार्यो के सूचना अधिकार से जानकारी मांगा था। उन्होने विकास कार्यो के जांच की मांग भी सम्बंधित अधिकारियों से किया था। इसे लेकर ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार, उनके परिजन काफी नाराज थे। गत 26 अक्टूबर को प्रवीन चौधरी जब हनुमानगंज से वापस अपने गांव पुत्री प्रशंसा, पुत्र प्रतीक, एंजल के साथ जा रहे थे तो रंजिश को लेकर गांव के ही ग्राम प्रधान अखिलेश

कुमार के भतीजे राजकुमार पुत्र विनोद ने ठोकर मार दिया। इससे वह बच्चों को लेकर गिर पड़े और उन्हें और बच्चों को चोटें आयी। शिकायत करने पर राजकुमार, यशपाल व विजय पाल ने प्रवीन चौधरी को यह कहकर मारा पीटा कि प्रधानी की जांच कराओगे। आस पास के लोगों के आ जाने से उनकी जान बची।

प्रवीन चौधरी ने मामले की सूचना रूधौली थाने पर देकर दोषियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया किन्तु पुलिस ने अभी तक उसे दर्ज नहीं किया। प्रवीन चौधरी ने मांग किया है कि दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उनके परिवार के जान माल की रक्षा कराया जाय।

“मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता”–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 28 अक्टूबर 2026 बुधवार

सम्पादकीय

मतदाता सूची की शुचिता पर सवाल!

इसमें कोई दो राय नहीं कि मतदाता सूची में सिर्फ वैध मतदाताओं के ही नाम रहने चाहिए। निर्वाचन आयोग ने इसी मकसद से अलग–अलग राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के तहत लाखों वैसे मतदाताओं को सूची से बाहर किया, जो नियमों की कसौटी पर अपात्र पाए गए। मगर अब कई स्तर पर मतदाता सूची से संबंधित जैसे ब्योरे सामने आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि इसे तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में लगभग हर जगह बहुस्तरीय लापरवाही बरती गई और बहुत सारे वैध मतदाताओं को भी सूची से बाहर कर दिया गया।

इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश से एक अन्य गड़बड़ी का भी खुलासा हुआ है, जो एसआइआर की शुचिता पर सवालिया निशान लगाता है। दरअसल, विधान परिषद चुनावों में मतदाता सूची में कई लोगों के नाम अजीबोगरीब तरीके से लिख दिए गए। मसलन, जिस मतदाता का नाम राम हित यादव है, उसका नाम ‘राम ने यादव को मारा’ कर दिया गया। जब इस तरह कुछ नामों में विचित्र विसंगतियों के मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो इस बारे में आयोग की ओर से सफाई आई कि यह तकनीकी त्रुटि और अनुवाद की गड़बड़ी की वजह से हुआ। सवाल है कि मतदाता सूची की शुचिता के जिस सवाल को निर्वाचन आयोग प्रतिष्ठा का मसला बना कर एसआइआर को जरूरी बताने की कोशिश में लगा है, उसी के समांतर विधान परिषद चुनावों में वोट डालने वाले मतदाताओं के नाम में ऐसी गड़बड़ी को किस तरह देखा जाएगा। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के ही पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में 10,470 प्रविष्टियों में अनियमितता का मामला भी उजागर हुआ है। यह छिपा नहीं है कि इस तरह की त्रुटियों का हवाला देकर कई राज्यों के लाखों मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जबकि इसकी जड़ में प्रक्रिया या फिर तंत्र की चूक थी।

पश्चिम बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरण में दावा करने के बाद पहले अवैध घोषित नब्बे फीसद से ज्यादा मतदाताओं को वैध पाया गया। अगर निर्वाचन आयोग के अपने तंत्र की लापरवाही या गलती की वजह से बड़ी संख्या में लोग मतदान के संवैधानिक अधिकार से वंचित रह गए, तो इसकी भरपाई कैसे होगी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

बदलती युद्ध की तस्वीर

विश्व भर में युद्ध का स्वरूप समय के साथ तेजी से बदल रहा है। पहले युद्ध में सैनिकों की संख्या, हथियारों की मारक क्षमता, टैंकों, तोपों और लड़ाकू विमानों की भूमिका निर्णायक मानी जाती थी। मगर अब आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से युद्ध की रणनीति और लड़ने के तरीके, दोनों बदल रहे हैं। ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ, साइबर हमले, उपग्रह निगरानी, रोबोटिक हथियार और उन्नत मिसाइल जैसी रक्षा प्रणालियां युद्ध के नए साधन बन गए हैं। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसी मुल्क चीन की बढ़ती तकनीकी और सामरिक क्षमताओं से मुकाबला करने की है। यह बात छिपी नहीं है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कई बार टकराव में तब्दील हुआ है। खबरों के मुताबिक, डोकलाम और गलवान के घटनाक्रमों के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर चीनी सेना की हलचल बढ़ी है।

आइटीबीपी के महानिदेशक ने बीते गुरुवार को एक कार्यक्रम में इस चिंता को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि चीन के साथ पारंपरिक युद्ध के तरीकों से मुकाबला करने का दौर बीत चुका है और सुरक्षा बल अपने जवानों, हथियारों, वाहनों और सीमा चौकियों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है। आधुनिक युद्धों में तकनीक की भूमिका रूस–यूक्रेन और अमेरिका–ईरान के बीच संघर्षों में देखने को मिली है। अब दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, उसके संचार तंत्र को बाधित करने और दूर बैठे ही सटीक हमला करने के लिए तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। एआइ की मदद से युद्धक्षेत्र से मिलने वाली सूचनाओं का विश्लेषण करके तेजी से निर्णय लिया जा सकता है। वहीं, साइबर हमलों के जरिए बिजली आपूर्ति, संचार नेटवर्क, बैंकिंग और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस बदलाव का अर्थ यह है कि अब किसी देश की सैन्य शक्ति केवल उसके सैनिकों और हथियारों की संख्या से नहीं आंकी जा सकती। तकनीकी दक्षता, खुफिया जानकारी, संचार व्यवस्था और विभिन्न सैन्य प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। आइटीबीपी चीन के साथ करीब साढ़े तीन हजार किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा करती है। बढ़ती चुनौतियों के बीच इस बल ने अपनी सभी सीमा इकाइयों में ड्रोन प्लाटून गठित की हैं और आधुनिक युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर सीमा पर व्यापक भूमिगत ढांचे बनाए जा रहे हैं।

भारत के लिए यह बदलाव इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि चीन सैन्य आधुनिकीकरण और नई तकनीकों के विकास पर लगातार जोर दे रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वह सैन्य निर्णय लेने, निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और लक्ष्य निर्धारित करने जैसे क्षेत्रों में एआइ के इस्तेमाल को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को सीमा सुरक्षा के पारंपरिक इंतजामों के साथ–साथ अपनी तकनीकी क्षमता भी मजबूत करनी होगी। अरुणाचल प्रदेश से लगती चीन की सीमा पर मौजूदा तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय का कहना है कि मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की ओर से राजनयिक और सैन्य तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मगर, चुनौती केवल सीमा तक सीमित नहीं है, चीन की ओर से हिंद–प्रशांत क्षेत्र में दबदबा बढ़ाने का प्रयास, अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणालियों का विस्तार और सीमा पार से साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी भारत के लिए रणनीतिक चिंताएं पैदा करते हैं। इसलिए भारत की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वह किसी एक क्षेत्र में तकनीकी बढ़त पर निर्भर रहने के बजाय सभी मोर्चों पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

त्रिकोणीय चक्रव्यूह में फंसता यूपी का मुस्लिम वोटर

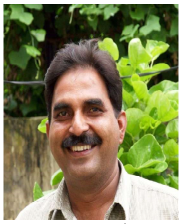

–संजय सक्सेना–

उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज एक बार फिर पूरी तरह से गरमा गया है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इसी के चलते प्रदेश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच राजनीति बंटती नजर आ रही है। हिंदुत्व के रहनुमा योगी बने हैं तो अखिलेश दलितों–पिछड़ों और खासकर मुस्लिम वोटों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में लगे हैं। मगर इस बार मुस्लिम वोटों की लड़ाई तीन हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। राज्य में मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए इस बार तीन बड़े मोर्चे खुल चुके हैं, जिसके केंद्र में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) आमने–सामने आ खड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की करीब 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी हमेशा से सत्ता की चाबी रही है, जिसे समाजवादी पार्टी अपना सबसे मजबूत और सुरक्षित वोट बैंक मानती आई है। अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर इस वोट बैंक में सेंध नहीं लगने देना चाहते, लेकिन इस बार की राह बेहद पथरीली नजर आ रही है। एक तरफ कहने को तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह सपा को मुस्लिम वोटों के एकाधिकार को लेकर लगातार आंखें दिखा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति के बूते राज्य में उसके अच्छे दिन वापस लौट सकते हैं। लगभग चार दशकों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर कांग्रेस इसी उम्मीद में समाजवादी पार्टी से आगामी चुनाव के लिए करीब पौने दो सौ सीटें मांग रही है। इसके उलट अखिलेश यादव कांग्रेस को 50 से 60 सीटों से अधिक देने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। अखिलेश को अच्छी तरह से पता है कि अगर कांग्रेस को अधिक सीटें दी गईं, तो यह मुस्लिम वोटरों की कांग्रेस की तरफ स्थायी वापसी के दरवाजे खोलने जैसा होगा, जिससे सपा की परंपरागत सियासत ही दरक जाएगी। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी खुद अखिलेश के खिलाफ सीधा मोर्चा नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उनके बेहद करीबी सांसद इमरान मसूद, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा और चुनाव प्रभारी राजेंद्र कुमार गौतम जैसे रणनीतिकार खुलकर समाजवादी पार्टी की घेराबंदी कर रहे हैं।

इस द्विपक्षीय खींचतान के बीच सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने अखिलेश यादव की नाक में दम कर रखा है। ओवैसी ने सपा के इस परंपरागत वोट बैंक को झकझोरने के लिए बेहद आक्रामक और भावनात्मक रणनीति अपनाई है। वह जनसभाओं में घूम–घूमकर अल्पसंख्यकों के बीच यह संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों ने चार बार सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई, लेकिन इसके बदले में इस कौम को क्या मिला। ओवैसी का सबसे मारक बयान यही रहा है कि सपा की हुकूमतों में मुस्लिमों की हैसियत पार्टी में सिर्फ दरी बिछाने और झंडा उठाने से ज्यादा नहीं बढ़ सकी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर वह लगातार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर हमलावर हैं। वरिष्ठ नेता आजम खान के मुद्दे को उठाकर भी ओवैसी सपा प्रमुख को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ओवैसी का सीधा आरोप है कि आजम खान को जानबूझकर जेल में रहने दिया गया, क्योंकि अखिलेश यादव भली–भांति जानते हैं कि अगर आजम खान बाहर आ गए तो वह मुस्लिम वोटरों को अपनी पसंद के नेताओं की तरफ मोड़ देंगे और अखिलेश को अपनी पार्टी में किसी अन्य मजबूत मुस्लिम नेतृत्व का उभार पसंद नहीं है। इसके साथ ही ओवैसी लगातार राजनीतिक गलियारों में यह बात फैला रहे हैं कि पर्दे के पीछे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं और नूराकुश्ती खेल रहे हैं। ओवैसी यहीं नहीं रुकते हैं, बल्कि अखिलेश के सबसे बड़े राजनीतिक गढ़ पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी को नया नाम समाजवादी यादव परिवार रखने का तंज कसते हैं। शामली के कैराना, बिजनौर और आजमगढ़ जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में गरजते हुए ओवैसी ने कुछ ऐसे तीखे उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने सपा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ओवैसी ने सार्वजनिक मंचों से सवाल उठाया कि एक समय था जब आजमगढ़ और फिरोजाबाद जैसी लोकसभा सीटों से मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचते थे, लेकिन अब वहां अखिलेश यादव के परिवार के लोग सांसद बन रहे हैं। उन्होंने बदायूं सीट का भी हवाला दिया और मुस्लिम समाज से सीधे मुखातिब होते हुए पूछा कि क्या कौम के अब्दुल का काम सिर्फ इतना रह गया है कि वह यादव परिवार के लोगों को सांसद और विधायक की सीट तोहफे में देता रहे, जबकि खुद हाशिए पर पड़ा रहे। ओवैसी बेहद तल्ख लहजे में कहते हैं कि अगर सैफई के किसी यादव नेता पर कोई कानूनी आंच आती है या वह जेल जाता है, तो लखनऊ की सड़कों पर चक्का जाम हो जाता है, लेकिन जब जेल में बंद किसी अब्दुल के हक की बात आती है, तो समाजवादी पार्टी के नेता चुप्पी साध लेते हैं। ओवैसी की इस तीखी बयानबाजी ने मुस्लिम युवाओं के एक बड़े वर्ग को सोचने पर मजबूर किया है और वे पूछ रहे हैं कि वे कब तक दूसरों के लिए अपनी जवानी कुर्बान करते रहेंगे।

जीत–हार में आंकड़ों और जमीनी भूगोल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 110 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम मतदाता 30 से 39 प्रतिशत के बीच हैं और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा 44 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी का अनुपात 40 से 49 प्रतिशत तक जाता है, जबकि 11 सीटें तो ऐसी हैं, जहां यह आंकड़ा 50 से 65 प्रतिशत के पार चला जाता है। मटेरा, मेरठ, बहराइच, बेहट और मुबारकपुर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम ने अपनी जड़ें बेहद मजबूत करनी शुरू कर दी हैं। पिछले चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो एआईएमआईएम का ग्राफ सूबे में लगातार बढ़ा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 2,04,142 वोट मिले थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसका वोट बैंक दोगुने से अधिक होकर 4,50,929 वोटों तक पहुंच गया, भले ही वह कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। लेकिन आगामी चुनाव के लिए ओवैसी करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के वोटों में बड़ी सेंधमारी की योजना है। मुबारकपुर जैसी सीट पर, जहां पिछले चुनाव में सपा ने 29 हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, वहां इस बार एआईएमआईएम का बढ़ता जनाधार अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ओवैसी के इन तीखे हमलों से बौखलाए अखिलेश यादव ने भी उन पर पलटवार करते हुए उनकी तुलना भेष बदले रावण से कर दी, जिस पर ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा कि वह सपा प्रमुख की जुबान से यही जहर उगलवाना चाहते थे, क्योंकि अखिलेश को टोपी और दाढ़ी वाला हर मुसलमान अब रावण दिखाई देने लगा है। कुल मिलाकर, कांग्रेस की तरफ से सीटों की भारी मांग और दूसरी तरफ से ओवैसी द्वारा मुस्लिम लीडरशिप की अस्मिता का सवाल खड़ा करने से उत्तर प्रदेश का यह त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, जिसमें अखिलेश यादव के सामने अपने सबसे पुराने दुर्ग को बचाने की बेहद कठिन चुनौती है।

आतिशबाजी, कानून और पर्यावरण का संतुलन

–डा. सुधीर कुमार–

ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर बाजार में बिक रहे फर्जी पटाखों पर रोक लगाने के लिए क्यूआर कोड–आधारित सत्यापन प्रणाली को अनिवार्य किया जाना चाहिए। द्वितीय, राज्य सरकारों को सामुदायिक आतिशबाजी को बढ़ावा देना चाहिए। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बदलते जनसांख्यिकीय स्वरूप और वायु गुणवत्ता सूचकांक के खतरनाक स्तर तक पहुंचने के कारण पटाखों की गूंज खुशियों के बजाय स्वास्थ्य संबंधी संकट और पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने लगी है। उत्सव का यह उल्लास जब हवा में विषैले कणों का जहर घोलने लगे और रात के सन्नाटे में शोर का स्तर मानक सीमा से परे चला जाए, तब मौलिक अधिकारों, सांस्कृतिक परंपराओं और राज्य के संवैधानिक दायित्वों के बीच एक गंभीर कानूनी व नैतिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने और स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 1991 के ऐतिहासिक वाद ‘सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य’ में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जीने के अधिकार में प्रदूषण–मुक्त जल और वायु का अधिकार भी शामिल है।

वहीं दूसरी ओर, संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने व आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। न्यायालयों ने प्रतिपादित किया है कि कोई भी धार्मिक परंपरा जनस्वास्थ्य और जनसामान्य के जीवन को संकट में नहीं डाल सकती। पर्यावरण न्यायशास्त्र और वैधानिक तंत्र के विकास में ‘पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986’ की धाराओं 3 व 5 और ‘वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981’ की धारा 19 के तहत केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पटाखों के अत्यधिक उत्सर्जन पर आपातकालीन निर्देश जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, नवप्रवर्तित ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ की धाराएं वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने वाले कृत्यों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान प्रदान करती हैं। वर्ष 2005 में ‘इन री रू नॉइज पोल्यूशन’ मामले में उच्चतम न्यायालय ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी आवाज वाले पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक आदेश दिया था। इसके पश्चात ‘अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ (2018)’ के ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने पारंपरिक पटाखों के निर्माण और बिक्री पर देशव्यापी अंकुश लगाते हुए केवल ‘ग्रीन क्रैकर्स’ यानी हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति दी।

इस फैसले में अदालत ने अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार करने के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के बीच संवैधानिक संतुलन बनाते हुए कहा कि पटाखों का निर्माण करने का व्यावसायिक अधिकार जनसामान्य के जीने और सांस लेने के अधिकार के सामने गौण है। जब भी वाणिज्यिक हित और जनस्वास्थ्य का टकराव होगा, तब जनस्वास्थ्य को ही सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी। ‘ट्रिब्यूनल ऑन इट्स ओन मोशन बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (2020)’ के महत्वपूर्ण मामले में एनजीटी ने आदेश दिया कि जिन शहरों या कस्बों में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘खराब’ दर्ज किया जाता है, वहां पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल उन्हीं क्षेत्रों में, जहां एक्यूआई ‘मध्यम’ या उससे बेहतर स्थिति में है, सीमित समय के लिए सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी जा सकती है। ग्रीन क्रैकर्स पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30 से 35 प्रतिशत तक कम कणिकीय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। पटाखों का एक गंभीर दुष्प्रभाव ‘क्रॉस–पॉल्यूशन’ भी है। पटाखों के फटने के बाद रासायनिक अवशेष और विषैली धातुएं हमारे भोजन और पानी की शृंखला में प्रवेश कर जाती हैं। जब इस बारूदी कचरे को खुले में जलाया या फेंका जाता है, तो यह मिट्टी और जल निकायों को बुरी तरह प्रदूषित करता है। इसके अतिरिक्त, आतिशबाजी का तीव्र शोर शहरी जीवों व पशु–पक्षियों में गंभीर मानसिक व शारीरिक आघात का कारण बनता है, जो पशु क्रूरता निवारण एवं पर्यावरण संबंधी नियमों का सीधा उल्लंघन है। पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन और सामाजिक चेतना में व्यापक बदलाव लाना आवश्यक है। सर्वप्रथम, ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर बाजार में बिक रहे फर्जी पटाखों पर रोक लगाने के लिए क्यूआर कोड–आधारित सत्यापन प्रणाली को अनिवार्य किया जाना चाहिए। द्वितीय, राज्य सरकारों को सामुदायिक आतिशबाजी को बढ़ावा देना चाहिए। तृतीय, पटाखों के निर्माण में लगे कारीगरों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उन्हें हरित आतिशबाजी तकनीक या अन्य उद्योगों में पुनर्कौशल प्रदान कर पुनर्वासित करने की राष्ट्रीय योजना बननी चाहिए।

लेखक कुरुक्षेत्र वि.वि. के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।

संयम की कसौटी पर नेताओं की फिसलती जुबान

–अजय कुमार–

अक्सर जब राजनीतिक मंचों पर शब्दों की मर्यादा टूटती है, तो बहस विकास और नीतियों से भटककर सिर्फ व्यक्तिगत छींटाकशी पर आ टिकती है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया बयान एक बार फिर इसी पुरानी और बीमार होती राजनीतिक संस्कृति को केंद्र में ले आया है। बिहार के पटना में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के कार्यक्रम के दौरान जब खड़गे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में अनियमितताओं का गंभीर मुद्दा उठा रहे थे, तब भीड़ से उठी एक टिप्पणी के जवाब में उन्होंने कह दिया कि श्मोदी का बाप भी जाएगा।श इस एक वाक्य ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और धांधली जैसे बड़े और जरूरी सवालों को पीछे धकेल दिया और पूरा राजनीतिक गलियारा सिर्फ भाषा की शालीनता पर बहस करने लगा। यह पहली बार नहीं है जब खड़गे के बयानों पर इस तरह का सियासी तूफान खड़ा हुआ हो, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में उनके कई बयानों ने राजनीतिक पारे को लगातार गर्माया है।

यदि हम पिछले बयानों के आंकड़ों और तारीखों पर गौर करें, तो खड़गे की शब्दावली अक्सर तीखे विवादों के घेरे में रही है। इसी साल 21 अप्रैल 2026 को चेन्नई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को श्आतंकवादीश तक कह दिया था, हालांकि बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि उनका आशय प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके और लोगों को डराने की शैली से था। इसी तरह, 6 अप्रैल 2026 को असम के करीमगंज में एक जनसभा के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना सीधे श्जहरीले सांपश से कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने कुरान के एक उदाहरण का हवाला भी दिया था। इससे पहले 5 अप्रैल 2026 को केरल के इडुक्की में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों को लेकर भी एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी और विजयन गुजरात या अन्य जगहों के अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन केरल के समझदार लोगों को नहीं।

इतना ही नहीं, साल 2025 के पन्नों को पलटें तो 7 जुलाई 2025 को रायपुर में छत्तीसगढ़ के एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का नाम लेते समय उनकी जुबान फिसल गई थी और उन्होंने उन्हें श्मुर्मा जीश कह दिया था, तथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम लेते समय वे श्कोविडश बोल गए थे। 20 मई 2025 को कर्नाटक के होसपेट में उन्होंने भारत की सैन्य कार्रवाई और पाकिस्तान के साथ संघर्ष को श्छुटपुट युद्धश करार दिया था, जिस पर देश की सेना के शौर्य और बलिदान को कम करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने तीखा विरोध जताया था। साल 2025 के शुरुआती महीनों में भी ऐसे कई मौके आएय जैसे 27 जनवरी 2025 को महू की रैली में उन्होंने महाकुंभ में नेताओं के गंगा स्नान पर सवाल उठाते हुए तंज कसा था कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, तो 12 अक्टूबर 2024 को कलबुर्गी में उन्होंने बीजेपी को सीधे तौर पर श्आतंकवादी पार्टीश कहा था, 27 अप्रैल 2023 को कर्नाटक चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को श्जहरीला सांपश कहा था, तथा 29 नवंबर 2022 को गुजरात चुनाव के दौरान अहमदाबाद में उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना श100 सिर वाले रावणश से कर डाली थी।

इन तमाम पुराने और नए बयानों का यह लंबा सिलसिला इस बात का गवाह है कि खड़गे जैसे वरिष्ठ, अनुभवी और दशकों लंबा राजनीतिक सफर तय करने वाले नेता से जिस विवेक और संयम की उम्मीद की जाती है, वह कई बार राजनीतिक आवेश की भेंट चढ़ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत से आते हैं और हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, इसलिए कई बार भाषाई चूक या क्षेत्रीय लहजे के अंतर को एक हद तक समझा जा सकता है। लेकिन किसी शब्द के गलत उच्चारण और किसी टिप्पणी के आशय के आपत्तिजनक हो जाने में जमीन–आसमान का फर्क होता है। सवाल हिंदी के व्याकरण या ज्ञान का नहीं है, बल्कि उस मानसिक स्थिति का है जहां विरोधी के तीखे तंज या भीड़ से आई किसी टिप्पणी के जवाब में आत्मनियंत्रण खो बैठना आज की राजनीति की अनिवार्य प्रवृत्ति बन चुका है। नेताओं को यह गलतफहमी हो चली है कि यदि वे तुरंत और बेहद तीखा पलटवार नहीं करेंगे, तो समर्थकों के बीच उनकी आक्रामकता और राजनीतिक वजूद कमजोर पड़ जाएगा।

इस पूरी घटना पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की प्रतिक्रियाएं भी सियासत के उसी दोहरे चरित्र को बेनकाब करती हैं जहां नैतिकता के पैमाने सुविधा के अनुसार तय होते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने खड़गे के इस ताजा बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यहां तक कह दिया कि अब उनकी उम्र राजनीति से संन्यास लेने की हो चुकी है और लगातार चुनावों में हार की हताशा के कारण कांग्रेस नेता इस तरह के व्यक्तिगत और अमर्यादित हमलों का सहारा ले रहे हैं। घोष ने सोनिया गांधी के पुराने बयानों का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितनी अधिक व्यक्तिगत बयानबाजी की जाएगी, उसका राजनीतिक नुकसान अंततः कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ेगा क्योंकि देश और दुनिया में पीएम मोदी के नेतृत्व का सम्मान किया जाता है। दूसरी तरफ, कांग्रेस के भीतर से भी अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेताओं ने भाजपा पर दोहरे मानदंडों का आरोप लगाते हुए यह सवाल उठाया है कि जब सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, तब नैतिकता की यह दुहाई देने वाले लोग चुप्पी साध लेते हैं।

सीएचसी में महिला की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

संवाददाता–देवरिया। जिले के रुद्रपुर में मंगलवार की भोर में पुलिस की गोलियां तड़तड़ा उठी, मुठभेड़ में पुलिस ने एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। एसपी अभिजीत आर शंकर समेत अन्य अधिकारियों ने अस्पताल पहुंच कर प्रकरण की जानकारी ली। दबोचे गए सलमान ने रुद्रपुर सीएचसी के सरकारी आवास में गर्भवती महिला की 3 लाख की सुपारी लेकर हत्या किया था। बाइक सवार इसका साथी अंधेरा का लाभ उठाकर फरार हो गया। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस भोर में अवस्थी चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। इस बीच बाइक सवार दो लोग आते दिखे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए इशारा किया तो वह बाइक मोड़ कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा करना शुरू किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंकने शुरू कर दिए। शिहोरचक के समीप उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जिसमें एक व्यक्ति को पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस उसे सीएचसी ले गई, जहां से प्राथमिक उपचार किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राम आशीष यादव निवासी छपरा थाना झंगहा जिला गोरखपुर बताया। उसने बताया कि उसका साथी नरेश अंधेरा का लाभ उठाकर फरार हो गया है। उसने बताया कि सत्य प्रकाश यादव के सहयोग से महिला के परिजनों ने तीन लाख रुपए में महिला की हत्या करने की सुपारी दी थी। ढाई लाख रुपए मिले थे। 50 हजार रुपए अभी बाकी था। उसे लेने जा रहे थे।

गोरखपुर जिले के सहजनवां थाना क्षेत्र के ग्राम चांदबाड़ी निवासी गुड़िया(28) पत्नी चमनलाल कुछ माह से सीएचसी रुद्रपुर में स्टॉफ नर्स के पद पर तैनात अपनी ननद पूर्णिमा विश्वकर्मा के समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर के तीसरे मंजिल पर स्थित सरकारी आवास में रह रही थी। 24 अक्टूबर की रात गला दबाकर व सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। मामले में मृतका की मां लालती देवी की तहरीर पर पुलिस ने पति चमन लाल, सास उर्मिला देवी, ननद पूर्णिमा, जेठ अभिमन्यु, जेठानी बनदेवी पत्नी अभिमन्यु के विरुद्ध दहेज हत्या का केस दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने मामले में ननद, पति समेत कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में ननद ने पूरा राज उगलते हुए बताया था उसने 3 लाख रुपए में सुपारी देकर अपनी ननद गुड़िया की हत्या कराई थी। रुद्रपुर पुलिस द्वारा सुबह नियमित रुप से चेकिंग किया जा रहा था, चेकिंग के दौरान उनके द्वारा एक बाइक पर सवार दो व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया । उनके द्वारा न रोक के पुलिस के ऊपर फायरिंग करके वहीं से भाग निकलने की कोशिश की गई । पुलिस द्वारा उनका पीछा करते हुए थोड़ी दूर आगे जाकर वे लोग बाइक से फिसलकर नीचे गिर गये और पुनरू पुलिस के ऊपर फायरिंग कर भागने की कोशिश किया । इसी फायरिंग के घटना पर अपना आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है । घायल अभियुक्त की पहचान रामअशीष यादव पुत्र रमाकान्त यादव के रूप में हुई है जो विगत दिन में थाना रुद्रपुर में सीएचसी में हुए हत्याकाण्ड में वांछित अभियुक्त है । उसको इलाज हेतु तुरन्त ही सीएचसी रुद्रपुर लेकर गये थे । उसकी स्थिति सामान्य है । उनका साथी जो मौके से फरार है उसकी गिरफ्तारी हेतु टीम लगायी गई है । पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही थी ।

208 जोड़े विवाह बंधन में बंधेः 191 हिंदू और 17 मुस्लिम जोड़ों की शादी

संवाददाता–गोण्डा। जिले में मंगलवार दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जिला प्रशासन की ओर से एक निजी पैराडाइज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत शादियां कराई गईं। कार्यक्रम के लिए करीब 400 हिंदू और मुस्लिम जोड़ों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से सत्यापन के बाद कुल 208 जोड़ों (191 हिंदू और 17 मुस्लिम) का उनके धार्मिक रीति–रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) दयानंद प्रसाद और सांसद प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिकारियों और अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह सम्मानपूर्वक कराया जा रहा है। योजना के प्रावधानों के अनुसार नवविवाहित जोड़ो के बैंक खातों में निर्धारित सहायता राशि भेजी जा रही है, साथ ही उपहार स्वरूप आभूषण, घरेलू सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी प्रदान की गईं। डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई खामी पाई गई तो संबंधित के खिलाफ जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्लॉक स्तर पर पूर्ण भौतिक सत्यापन के बाद ही जोड़ों को विवाह की अनुमति दी जाती है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार आर्थिक तंगी के कारण विवाह से वंचित न रहे। यह अभियान आगे भी विभिन्न चरणों में जारी रहेगा। घ्समारोह में भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर कोतवाली पुलिस और सद्भावना पुलिस चौकी के जवानों को मौके पर तैनात किया गया था।

अयोध्या में आईपीएल चीनी मिल सिसवा के प्रगतिशील गन्ना किसान हुए सम्मानित

संवाददाता–महराजगंज। अयोध्या जनपद मुख्यालय स्थित झुनझुनवाला पीजी कॉलेज में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केएम शुगर मिल्स लिमिटेड मसौधा एवं उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन व ईस्मा के संयुक्त तत्वावधान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिंहित प्रगतिशील गन्ना किसानों को सम्मानित करने के लिए गन्ना कृषक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सिसवा आईपीएल चीनी मिल के द्वारा चिंहित प्रगतिशील गन्ना किसानों को सम्मानित किया गया।सिसवा आईपीएल चीनी मिल के यूनिट हेड दीपेंद्र कुमार ने बताया कि चीनी परिक्षेत्र के ग्राम सभा गुरली निवासी प्रगतिशील गन्ना किसान होसिला प्रसाद को रिंग पिट विधि से चार एकड़ के क्षेत्रफल में गन्ना किस्म कोलक 14201 की बुआई कराई गई है। वहीं सिसवा नगर पालिका क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह, खेसरारी वार्ड निवासी प्रगतिशील गन्ना किसान जनार्दन यादव ने अपने खेत मे ट्रेंच विधि से पांच एकड़ के क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई की गई है। जनार्दन यादव ने नई किस्म को.20016 एवं को. 21012 की एसटीपी नर्सरी भी तैयार कराई गई है। जिसकी रोपाई धान की फसल काटने के तुरंत बाद कर दी जाएगी। इन दोनों प्रगतिशील गन्ना किसानों को बीते शनिवार को अयोध्या के झुनझुनवाला पीजी कॉलेज में ईस्मा के तत्वावधान में आयोजित कृषक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया।

अयोध्या में मंदिर तोड़ने और मूर्तियां गायब करने का आरोप, संतों में आक्रोश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में मंदिर तोड़ने और देवी–देवताओं की मूर्तियां गायब करने के आरोप से संत समाज में आक्रोश है। त्रिकोणिया मंदिर के श्रीमहंत महामंडलेश्वर हरेराम दास महाराज ने भूमाफियाओं पर करीब 56 वर्ष पुराने मंदिर को ध्वस्त करने और वहां स्थापित मूर्तियों को गायब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने, जमीन की निष्पक्ष पैमाइश कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। श्रीमहंत ने कहा कि इस प्रकरण को लेकर वह संतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। जरूरत पड़ने पर संत समाज के साथ धरना–प्रदर्शन भी किया जाएगा।श्रीमहंत हरेराम दास महाराज के मुताबिक, उनके गुरु भाई अंतर्यामी ने रामघाट बाईपास बंधा के समीप गाटा संख्या 100 की जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर मंदिर बना हुआ था, जहां हनुमानजी, भगवान शंकर सहित अन्य देवी–देवताओं की मूर्तियां स्थापित थीं। उन्होंने दावा किया कि मंदिर करीब 56 वर्ष पुराना था और यहां अयोध्या के संत–महंत तथा धर्माचार्य नियमित रूप से आते थे। परिसर में प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन होता था, जिसमें बड़ी संख्या में संत–महात्मा शामिल होते थे।श्रीमहंत ने आरोप लगाया कि अंतर्यामी मठ में रहने वाले एक साधु को मारपीट कर वहां से भगा दिया गया। इसके बाद मंदिर को तोड़कर उसमें स्थापित मूर्तियां गायब कर दी गईं। उन्होंने कहा कि यह कोई नया मंदिर नहीं था, बल्कि लंबे समय से धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। क्षेत्र के लोग भी मंदिर और यहां होने वाले आयोजनों से परिचित हैं।हरेराम दास महाराज ने कहा कि उन्हें जमीन से अधिक पीड़ा इस बात की है कि उनके आराध्य की मूर्तियां कहां ले जाई गईं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की गंभीरता से जांच कर मूर्तियों का पता लगाया जाए और उन्हें वापस दिलाया जाए। साथ ही जमीन की विधिवत पैमाइश कराकर मंदिर से जुड़े तथ्यों की जांच की जाए तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और मुख्यमंत्री के समक्ष भी मामला उठाया जाएगा।इस दौरान कनक महल के श्रीमहंत महामंडलेश्वर सीताराम दास महात्यागी, हनुमानगढ़ी के महंत राजेश दास, महंत प्रभुराम दास उर्फ मामा दास, करतलिया भजनाश्रम के महंत बालयोगी रामदास, पूर्व पार्षद पुजारी रमेश दास और महंत रामबालक दास समेत दर्जनों संत–महंत मौजूद रहे। संतों ने मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की।

28 लाख के मोबाइल बरामद कर उनके स्वामियों को सौंपा

संवाददाता–महराजगंज। महराजगंज पुलिस ने तकनीक की मदद से गुम मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता हासिल की है। मंगलवार को सर्विलांस सेल व जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने 115 मोबाइल फोन बरामद किया। इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 28 लाख रुपये बताई गई है। आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए गए। लंबे समय बाद मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताते हुए पुलिस के प्रति आभार जताया। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पिछले सात माह में कुल 743 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब दो करोड़ छह लाख रुपये है। इस कार्रवाई में सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल, सर्विलांस सेल व विभिन्न थानों के पुलिस कर्मियों की मदद ली गई। एसपी ने लोगों से अपील किया कि मोबाइल फोन गुम या चोरी होने पर सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर उसे ब्लॉक कराने की प्रक्रिया अपनाएं।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में बृजभूषण शरण सिंह को जगह, राजा भैया स्थायी आमंत्रित सदस्य बने

संवाददाता–गोण्डा। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं, गोंडा के सांसद और केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार देर रात करीब 9 बजे प्रदेश कार्यसमिति, स्थायी आमंत्रित सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी कर दी। इसमें गोंडा के कई प्रमुख नेताओं को जगह मिली है। हालांकि, बृजभूषण शरण सिंह के सांसद पुत्र करण भूषण सिंह और विधायक पुत्र प्रतीक भूषण सिंह को सूची में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। सूची जारी होने के बाद समर्थक सोशल मीडिया पर नेताओं को बधाई दे रहे हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी ने कहा कि पार्टी की ओर से दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा, ताकि गोंडा में पार्टी और मजबूत हो सके। पूर्व जिलाध्यक्ष पीयूष मिश्रा ने कहा कि पार्टी ने जब भी उन्हें कोई जिम्मेदारी दी है, उन्होंने उसे गंभीरता से निभाया है।

आगे भी वह संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। भाजपा नेता डॉ. रंजन शर्मा ने कहा कि वह लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं और संगठन ने उन्हें समय–समय पर जिम्मेदारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि गोंडा के नेताओं को प्रदेश संगठन में जगह मिलना जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आभार जताया।

12 दिन बाद अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्मः डीएम से वार्ता के बाद बार एसोसिएशन ने वापस लिया आंदोलन

संवाददाता–बलरामपुर। बलरामपुर में धारा 34 समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। डीएम से वार्ता और आमसभा में सहमति बनने के बाद संयुक्त बार एसोसिएशन ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया।

सोमवार को डीएम और अधिवक्ताओं के बीच हुई वार्ता के सकारात्मक परिणाम मंगलवार को सामने आए। संयुक्त बार एसोसिएशन के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 अक्टूबर को डीएम से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और मांगों को रखा था। वार्ता के बाद मंगलवार दोपहर दो बजे आमसभा की बैठक बुलाई गई। करीब एक घंटे चली बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत का पूरा ब्योरा सदन के सामने रखा। डीएम से मिले आश्वासनों पर संतोष जताते हुए अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया।

जिला युवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि

धारा 34 को लेकर अधिवक्ताओं की आपत्तियों को गंभीरता से लिया गया है। आमसभा में तय हुआ कि बलरामपुर के अधिवक्ताओं की ओर से आपत्ति पत्र बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा जाएगा। डीएम ने इस संबंध में जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि वार्ता सफल रहने के बाद आमसभा बुलाई गई थी, जिसमें आंदोलन समाप्त करने पर सहमति बनी।

कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने बताया कि धारा 34 और संघ भवन से जुड़े मुद्दों को लेकर अधिवक्ता पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। डीएम ने सभी आपत्तियों को नोट करते हुए उन्हें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थितियों से डीएम को अवगत कराया गया। इसके बाद उन्होंने समस्याओं को समझते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया।

संघ भवन के विवाद के समाधान के लिए अधिवक्ताओं और शासन के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी गठित करने पर भी सहमति बनी है। यह कमेटी मामले की जांच कर उचित निर्णय लेने की दिशा में काम करेगी।

पर्ची काउंटर पर गश खाकर गिरा मासूम

संवाददाता–महराजगंज। बुखार से पीड़ित सात वर्षीय बच्चा मंगलवार को सीएचसी परतावल में पर्ची काउंटर की लाइन में खड़े–खड़े गश खाकर गिर पड़ा। जमीन पर गिरने से उसका कपड़ा धूल–मिट्टी से सन गया। परिजन उसे लेकर ओपीडी में पहुंचे तो चिकित्सक पर इलाज से इनकार करने का आरोप लगा। बाद में सीएचसी अधीक्षक ने बच्चे को ईटीसी वार्ड में इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन एक चिकित्सक के कथित दुर्व्यवहार से परिजन उसे लेकर दूसरे स्थान पर चले गए।श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बसहिया बुजुर्ग निवासी प्रिंस मंगलवार को अपनी मां और रिश्तेदार के साथ इलाज कराने सीएचसी पहुंचा था। दो दिन के अवकाश के बाद अस्पताल खुलने से मरीजों की भीड़ लगी थी। पर्ची काउंटर पर लाइन में खड़ा बच्चा अचानक गश खाकर गिर पड़ा। इससे वहां अफरातफरी मच गई।परिजन उसे उठाकर ओपीडी के कक्ष संख्या छह में ले गए, जहां डॉ. अनिल जायसवाल बैठे थे। आरोप है कि चिकित्सक ने बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में ले जाने को कहा। परिजनों के अनुसार, इमरजेंसी वार्ड के कक्ष संख्या 12 में चिकित्सक नहीं मिलने पर वे दोबारा ओपीडी में पहुंचे। इस दौरान चिकित्सक पर नाराज होकर इलाज से इनकार करने और टोल फ्री नंबर पर फोन करने की बात कहने का आरोप है।सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमित कुमार ने बताया कि मरीज के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि वह स्वयं बच्चे की मां से मिले थे और ईटीसी वार्ड में इलाज कराने को कहा था, लेकिन परिजन बच्चे को लेकर चले गए।

शरद पूर्णिमा पर जिनालय के शिखर पर हुआ कलशारोहण

गणिनी ज्ञानमती माताजी का 93वां जन्मोत्सव और 75वां संयम दिवस मनाया

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर रायगंज स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर (बड़ी मूर्ति) में त्रिदिवसीय महोत्सव के अंतर्गत जिनालय के शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर गणिनीप्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माताजी का 93वां जन्मोत्सव और 75वां संयम दिवस श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की।महोत्सव का शुभारंभ बड़ी मूर्ति स्थित भगवान ऋषभदेव के पंचामृत अभिषेक से हुआ। इसके बाद परिसर स्थित तीस चौबीसी जिनालय के शिखर पर विधि–विधान से कलश एवं ध्वजारोहण किया गया। श्रद्धालुओं ने कलश को रथ पर विराजमान कर मंदिर परिसर में भ्रमण कराया। इसके बाद मंगल मंत्रोच्चार के बीच शिखर पर कलशारोहण की धार्मिक परंपरा पूरी की गई।तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के कुलाधिपति सुरेशचंद जैन की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य समारोह में तीर्थक्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जैन मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम पीठाधीश स्वस्तिश्री रवींद्रकीर्ति स्वामी के नेतृत्व एवं सान्निध्य में संपन्न हुआ। प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती माताजी के सान्निध्य में 108 जोड़ों ने मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की अर्चना की। इसके बाद 75 मंत्रों के माध्यम से ज्ञानाराधना और 93 अर्घ्यों के साथ गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी की पूजा की गई।इस अवसर पर ज्ञानमती माताजी ने कहा, "यह पूजा हमारी नहीं, संयम और त्याग की है। त्याग से ही व्यक्ति महान बनता है और उसके गुणों की पूजा की जाती है।" उन्होंने अपने जीवन का प्रसंग साझा करते हुए बताया कि 74 वर्ष पूर्व उन्होंने गृहत्याग किया था। उस समय अविवाहित कन्याओं का घर से निकलना सहज नहीं था, लेकिन त्याग और वैराग्य की भावना के साथ उन्हें अपनी माता का संबल मिला और उन्होंने संयम का मार्ग अपनाया।समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को आर्यिका रत्नमती नारी सम्मान प्रदान किया गया। हरियाणा के गजेंद्र जैन को 125 वर्षों से जैन पंचांग के निर्माण एवं प्रकाशन की परंपरा में योगदान के लिए जम्बूद्वीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामाजिक सेवाओं के लिए डॉ. चंद्रकांत नेमिनाथ चौगुले को लाला छोटेलाल जैन स्मृति पुरस्कार तथा अनोपबाई पुखराज पांड्या को आर्यिका रत्नमती पुरस्कार प्रदान किया गया।संस्थान के सर्वोच्च गणिनी ज्ञानमती पुरस्कार से प्रयागराज की आरती प्रकाशचंद जैन 'शीशे वाले' को सम्मानित किया गया। उन्हें 2.51 लाख रुपये की राशि, अंगवस्त्र, शॉल और प्रशस्तिपत्र भेंट किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय की छात्राओं और टिवैह्तनगर बालिका मंडल ने भक्तिपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किए। संयम दिवस पर माताजी को पिच्छी, कमंडलु और शास्त्र भी भेंट किए गए।सायंकाल 1008 दीपकों से मंगल आरती की गई। रात 9रू15 बजे माताजी के जन्मसमय पर श्रद्धालुओं ने थालियां बजाकर हर्ष व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. जीवन प्रकाश जैन और विजय कुमार जैन ने किया। देश के लगभग 22 प्रांतों से आए श्रद्धालुओं की उपस्थिति में महोत्सव श्रद्धा और धर्ममय वातावरण के बीच संपन्न हुआ।

ट्रक की चपेट में आकर छात्रा की मौत

संवाददाता–कुशीनगर। सुकरौली नगर पंचायत के भैरव चौराहे पर मंगलवार को नेशनल हाईवे–27 पर एक सड़क हादसे में 17 साल की छात्रा काजल गुप्ता की मौत हो गई। वह स्कूल से घर लौट रही थी। सड़क पार करते समय गोरखपुर से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। काजल, धर्मेंद्र गुप्ता की बेटी थी, जिनकी भैरव चौराहे पर गुप्ता टेंट हाउस की दुकान है। वह अपने परिवार के साथ यहीं रहती थी और इंटर की छात्रा थी। घटना से परिवार सदमे में है।

नेशनल हाईवे पर सड़क निर्माण के चलते एक पटरी बंद है। दूसरी पटरी से दोनों तरफ का यातायात चल रहा है, जिससे वाहनों का दबाव बढ़ गया है। इस वजह से यातायात व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। पुलिस को सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में लेकर हाटा थाने में खड़ा करा दिया गया है।

खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ

संवाददाता–बहराइच। किसानों को आधुनिक और जलवायु अनुकूल खेती से जोड़ने के मकसद से मंगलवार को श्खेत बचाओ अभियानश शुरू हुआ। डीएम राजेश कुमार पाण्डेय ने मंगलवार दोपहर एक बजे कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण इलाकों के लिए रवाना किया।

यह अभियान आईटीसी मिशन सुनहरा कल और ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। जागरूकता वाहन गांवों में जाकर किसानों को कृषि अवशेष के सही इस्तेमाल, जीरो टिलेज विधि से गेहूं की बुवाई और जलवायु अनुकूल खेती के बारे में बताएंगे।

किसानों को पराली जलाने के बजाय उसके उचित इस्तेमाल के फायदे समझाए जाएंगे। साथ ही, जीरो टिलेज तकनीक अपनाकर खेती की लागत कम करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह अभियान किसानों को बदलते मौसम में खेती को टिकाऊ और फायदेमंद बनाने वाली तकनीकों की जानकारी देगा। इस मौके पर आईटीसी मिशन सुनहरा कल के धनेश कुमार वर्मा और ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज के नरेंद्र देव पाण्डेय समेत परियोजना टीम के सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे।

उग्रसेन सेतु पर फिर बना होल, वाहनों का आवागमन ठप

संवाददाता–देवरिया। कपरवार स्थित उग्रसेन सेतु पर मंगलवार को होल बनने के बाद एनएचआई ने पुल से वाहनों का आवागमन रोक दिया है। आवागमन बन्द होने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। तमाम वाहनों को रूट बदलना पड़ा है। जिले के दक्षिणी छोर से देवरिया का गोरखपुर जिले से सम्बंध कट गया है। कपरवार में राप्ती नदी पर बने उग्रसेन सेतु पर मंगलवार को अचानक बड़ा होल हो गया। इससे पुल की सरिया और नीचे की जमीन दिखाई देने लगी। जिसे हादसे की आशंका बढ़ गई है। पुलिस ने बड़े वाहनों पुल पर जाने से रोक पर एनएचआई के अधिकारियों को स्थिति अवगत कराया।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0–152/2025
मूलवाद सं0–80/1985
पलझन (मृतक) आदि
बनाम
गनेश सिंह (मृतक) आदि

1. गनेश सिंह उम्र लगभग 55 साल पुत्र शिवकुमार सिंह मृतक 2. कमल सिंह उम्र लगभग 50 साल पुत्र शिवकुमार सिंह –मृतक 3– राममिलन सिंह उम्र 42 साल पुत्र शिवकुमार सिंह –मृतक 3/1– श्रीमती पुष्पा सिंह उम्र लगभग 65 साल पत्नी राममिलन सिंह –मृतक 3/2– राजेश सिंह उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्र राममिलन सिंह 3/3– रोहित सिंह उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र इन्द्रजीत सिंह 3/4– श्रीमती सनी सिंह उम्र लगभग 42 वर्ष पत्नी छोटे सिंह – मृतक 3/5– ऋषभ सिंह उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र छोटेलाल 4– पहलवान सिंह उम्र लगभग 39 साल पुत्र शिवकुमार सिंह –मृतक 4/1– भानू सिंह उम्र लगभग 43 वर्ष 4/2– धीरेन्द्र सिंह उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्रगण पहलवान सिंह 5– रामउग्रह सिंह उम्र लगभग 80 वर्ष पुत्र जैदत्त सिंह–मृतक 5/1– उदयराज सिंह उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र फौजदार सिंह 5/2–सुरेश उम्र लगभग 52 वर्ष 5/3– भीम सिंह उम्र लगभग 48 वर्ष 5/4–नन्हे उम्र लगभग 42 वर्ष 5/5– सुरजीत सिंह उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्रगण कुंअर बहादुर सिंह 6– टेढ़ू सिंह उम्र लगभग 52 साल पुत्र जयराज सिंह –मृतक 6/1–अमरनाथ सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र टेढ़ू सिंह 7– गया प्रसाद उम्र लगभग 70 साल पुत्र धर्मराज सिंह –मृतक 7/1–रामबक्स सिंह उम्र लगभग 69 वर्ष पुत्र गया प्रसाद 7/2– विछर उर्फ छत्तन देवी उम्र लगभग 65 वर्ष पत्नी स्व० रामकवल सिंह 7/3–विजय प्रकाश सिंह उम्र नामालूम पुत्र राम अवतार सिंह 8– पारस सिंह उम्र लगभग 57 साल पुत्र रामवरन सिंह – मृतक 8/1– महेन्द्र उम्र लगभग 63 साल 8/2– योगेन्द्र उम्र लगभग 68 साल पुत्रगण पारस सिंह 9– महात्मा सिंह उम्र लगभग 55 साल पुत्र रामवरन सिंह– मृतक 9/1–जसपाल सिंह उम्र 9/2– धर्मपाल सिंह उम्र 9/3–सतपाल सिंह उम्र 9/4– चन्द्रपाल सिंह उम्र नामालूम पुत्रगण स्व० महात्मा सिंह 10– रामदवन सिंह उम्र लगभग 35 साल पुत्र दुबरी सिंह 11– रामसेवक सिंह उम्र लगभग 26 साल पुत्र दुबरी सिंह –मृतक 11/1– विनय उम्र लगभग 20 वर्ष 11/2– भोलू उम्र लगभग 26 वर्ष 11/3– सन्नी सिंह उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्रगण रामसेवक 12– रामगोपाल सिंह उम्र लगभग 22 साल पुत्र दुबरी सिंह 13– मु० मुनरा देवी उम्र लगभग 50 साल पत्नी केशव सिंह – मृतक 14– अमरजी सिंह उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र प्रमात्मा सिंह 15 समरजीत सिंह उम्र लगभग वर्ष पुत्र प्रमात्मा सिंह –मृतक 15/1–श्रीमती शीला सिंह उम्र लगभग 55 वर्ष पत्नी समरजीत सिंह 15/2– सोनू उम्र लगभग 28 वर्ष 15/3– मोनू उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्रगण समरजीत सिंह 16– इन्द्रजीत सिंह उम्र लगभग 38 साल पुत्र प्रमात्मा सिंह 16/1– अनिल उम्र लगभग 36 साल 16/2– सुनील उम्र लगभग 34 साल 16/3– सुशील उम्र लगभग 29 साल पुत्रगण इन्द्रजीत सिंह 17– रणजीत सिंह उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र प्रमात्मा सिंह साकिनान मौजा– डिगरापुर मुस्तहकम, तप्पा– ऊँजी, परगना–नगर पश्चिम, तहसील– हरैया, जिला–बस्ती 18– सुक्खू उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र पलझन 19– अनिल उम्र लगभग 30 वर्ष 20– सुनील उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्रगण जियालाल 21– महेन्द्र उम्र लगभग 25 वर्ष 22– शैलेन्द्र उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्रगण सच्चाराम साकिनान मौजा– डिगरापुर मुस्तहकम, तप्पा ऊँजी, परगना– नगर पश्चिम, तहसील– हरैया, जिला–बस्ती

–विपक्षीगण

तारीख पेशी 04–12–2026

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 04 माह 12 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

सरदार वल्लभभाई पटेल प्रतिमा का अनावरण 31 को

भाजपा नेता अखिलेश चौधरी विक्की ने दिया 51 हजार का योगदान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रुधौली विधानसभा क्षेत्र के दसिया–महानुआ मार्ग स्थित ग्राम मुडवरा में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण 31 अक्टूबर शनिवार को किया जाएगा। ग्राम प्रधान शिवेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां जोर–शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा नेता अखिलेश चौधरी विक्की ने प्रतिमा स्थापना और आयोजन के लिए 51 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है।

कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा नेता अखिलेश चौधरी विक्की मौके पर पहुंचे। उन्होंने आयोजन से जुड़े लोगों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की और कार्यक्रम को भव्य रूप देने में अपना सहयोग दिया। इस अवसर पर अखिलेश चौधरी विक्की ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा लोगों को उनके विचारों, आदर्शों और राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरित करेगी। सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट रहने और राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।

कार्यक्रम के आयोजक ग्राम प्रधान शिवेन्द्र चौधरी ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण उनके अतुलनीय योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी ऐतिहासिक भूमिका को स्मरण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से लोगों को सरदार पटेल के विचारों से जोड़ने और समाज में एकता का संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को लेकर गांव में तैयारियां जारी हैं। आयोजकों की ओर से लोगों से कार्यक्रम में सहभागिता की अपील की जा रही है। अमित चौधरी, संजय चौधरी, अंकित चौधरी, त्रिलोकी नाथ चौधरी, राजू चौधरी, तिलकराम विश्वकर्मा, अनिल शर्मा, पाटन दिन गौतम, धर्मेन्द्र कनौजिया, रंजीत चौधरी, राजेंद्र यादव सहित अनेक लोग कार्यक्रम की सफलता के लिये निरन्तर सक्रिय है।

विधायक ने 648 रसोइया बहनों को किया सम्मानित

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ में दीपावली के मौके पर बेसिक शिक्षा विभाग की 648 रसोइया बहनों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को नगर पंचायत शोहरतगढ़ के गडाकुल स्थित शिवपति इंटर कॉलेज में हुआ।

मुख्य अतिथि विधायक विनय वर्मा और उनकी पत्नी बबीता वर्मा ने रसोइया बहनों को साड़ी और मिठाई देकर सम्मानित किया। इसमें शोहरतगढ़ की 377, बर्डपुर की 52, नौगढ़ की 82 और जोगिया की 137 रसोइया बहनें शामिल थीं।

विधायक विनय वर्मा ने कहा कि रसोइया बहनें बच्चों के भोजन और स्वास्थ्य की अहम जिम्मेदारी निभाती हैं। उनका सम्मान करना समाज का फर्ज है। बबीता वर्मा ने भी उनके योगदान की तारीफ की।

साड़ी और मिठाई पाकर रसोइया बहनों के चेहरे पर खुशी दिखी। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

दंगा नियंत्रण का अभ्यास कर पुलिस ने परखी अपनी तैयारी

संवाददाता–गोरखपुर। कानून–व्यवस्था की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण का व्यापक मॉक अभ्यास किया गया। पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में आयोजित इस अभ्यास में पुलिसकर्मियों की तत्परता, कार्यक्षमता, आपसी समन्वय और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों को परखा गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुशासित और संयमित तरीके से कार्रवाई करने का प्रशिक्षण दिया गया। अभ्यास की शुरुआत ब्रीफिंग से हुई। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को मानक संचालन प्रक्रिया, आपसी समन्वय और सार्वजनिक अशांति की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। बताया गया कि किसी भी अप्रिय स्थिति में पुलिसकर्मियों को कानून के दायरे में रहते हुए धैर्य और सूझबूझ के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही परिस्थिति के अनुसार त्वरित निर्णय लेने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसमें दंगा नियंत्रण उपकरणों और गैर–घातक हथियारों के सुरक्षित इस्तेमाल के साथ ही पुलिस फॉर्मेशन बनाने, भीड़ को नियंत्रित करने और उसे तितर–बितर करने की रणनीतियों का अभ्यास कराया गया। बल प्रयोग के दौरान निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करने और परिस्थितियों के अनुरूप संतुलित कार्रवाई करने की जानकारी दी गई।

अभ्यास के दौरान टीमवर्क, संचार व्यवस्था और दबाव की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। पुलिसकर्मियों को समझाया गया कि भीड़ नियंत्रण के दौरान आपसी तालमेल और अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन दिवसीय ईसीसीई प्रशिक्षण शुरू

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र डिलिया में तीन दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण का उद्घाटन सदर खंड शिक्षा अधिकारी विनोद त्रिपाठी और डीसी आलोक त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रशिक्षण में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), नोडल एआरपी और नोडल शिक्षक संकुल प्रतिभाग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के सर्वांगीण विकास, खेल आधारित शिक्षण पद्धति और बुनियादी दक्षताओं के विकास को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण संदर्भदाता एसआरजी अंगद पाण्डेय एवं रुक्मणि देवी मिश्रा ने प्रतिभागियों को ईसीसीई की अवधारणा, प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाओं तथा बच्चों के लिए सहज, रोचक और अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार करने की जानकारी दी। प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित अधिकारियों एवं शिक्षकों की क्षमता संवर्धन कर प्री–प्राइमरी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर सीडीपीओ जीतेंद्र कुमार, कृष्णवेंद्र कुमार यादव, देवेंद्र सिंह, देवेंद्र मिश्र, सचिन राय, एआरपी बब्बन पाण्डेय, ओंकार नाथ, मनोज कुमार उपाध्याय, संतोष त्रिपाठी, राजकुमार, उमाशंकर पाण्डेय, गरिमा त्रिपाठी, विजय प्रताप वर्मा, शिवांगी पाण्डेय, प्रिया मौर्या, अर्चना गुप्ता, रेखा देवी, आस्था पाण्डेय, आकांक्षा सिंह, रीता यादव, काजल दूबे, श्वेता सिंह और पुष्पवती सहित अन्य प्रतिभागी उपस्थित रहे।

104 ईसीसीई एजुकेटर्स को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। परिषदीय विद्यालयों में बालवाटिका के बच्चों को खेल और विभिन्न गतिविधियों के जरिए शिक्षा देने के लिए 104 ईसीसीई एजुकेटर नियुक्त किए गए हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नवचयनित एजुकेटर को नियुक्ति पत्र वितरित किया। अब इन्हें विद्यालयों में तैनात कर बच्चों की शुरुआती शिक्षा को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। नियुक्ति से बालवाटिका के बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षण का लाभ मिलने की उम्मीद है।

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बालवाटिका के बच्चों को खेल और गतिविधियों के माध्यम से सिखाने के लिए ईसीसीई एजुकेटर की नियुक्ति की जा रही है। विभाग ने पिछले साल पहले चरण में 141 एजुकेटर नियुक्त किए थे। इसके बाद रिक्त 104 पदों पर भर्ती के लिए सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। शासनादेश के अनुसार, अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन और साक्षात्कार के बाद चयन प्रक्रिया पूरी की गई।

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कटेहरी विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने नवचयनित एजुकेटर को बच्चों के साथ पूरी लगन से काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की नींव होती है। इस स्तर पर खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ती है और उनकी बुनियादी समझ विकसित होती है। वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष ने नवचयनित एजुकेटर से विकसित भारत–2047 की कार्ययोजना के अनुरूप काम करने और प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में योगदान देने का आह्वान किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. पूनम मिश्रा ने बताया कि विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने से पहले सभी नवचयनित एजुकेटर को डायट आलापुर में दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 2 और 3 नवंबर को आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 11 साल से फरार था

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। टांडा में दर्ज मुकदमे में करीब 11 साल से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी अरविंद वर्मा को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी जमालपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया कि अरविंद वर्मा पुत्र रमापति वर्मा मूल रूप से टांडा कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव का निवासी है। उसके खिलाफ वर्ष 2015 में टांडा कोतवाली में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, गाली–गलौज, धमकी और एससी–एसटी एक्ट से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में विशेष न्यायाधीश एससी–एसटी एक्ट की अदालत से वारंट जारी था। गिरफ्तारी नहीं होने पर आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर को उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार पाल, आरक्षी उमाकांत यादव और आरक्षी पिंटू कुमार की टीम ने पहले जमालपुर गांव में आरोपी की तलाश की। वहां उसका सुराग नहीं मिलने पर टीम लखनऊ पहुंची। गोमतीनगर विस्तार स्थित पार्क व्यू अपार्टमेंट में आरोपी अपने आवास पर मिल गया। पुलिस ने रात करीब 11रू40 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी और स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ टांडा कोतवाली में वर्ष 2016 में गैरहाजिरी से संबंधित एक अन्य मुकदमा भी दर्ज है। इसके अलावा आजमगढ़ में वर्ष 2017 में धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होने का भी उल्लेख है।

गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 4 साल की सजा

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने दोषी गौतम भट्ट को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह फैसला 27 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया।

गौतम भट्ट महनगा निवासी श्यामनारायण भट्ट का बेटा है। उसके खिलाफ सिद्धार्थनगर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जनपद सिद्धार्थनगर के एएसजेएफटीसी–2 गैंगस्टर एक्ट न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई।

पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण आरोपी को सजा मिल पाई। इसमें जिला मॉनिटरिंग सेल ने अहम भूमिका निभाई।

देश संविधान और जनमत से चलेगा भीड़ तंत्र से नहीं –अजय गौतम

संवाददाता–गोरखपुर। रानीडीहा स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में मंगलवार को जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी की अध्यक्षता में श्लोकतंत्र बचाओ भीड़ तंत्र हटाओ' अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। बैठक में पदयात्रा और जनसंवाद के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम ने कहा कि देश संविधान और जनमत से चलेगा न की भीड़तंत्र से चलेगा। उन्होंने कहा कि देशवासियों के अभूतपूर्व जन समर्थन से देश मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है। इसी जनसमर्थन से धारा 370 हटा, अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण हुआ। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की चर्चा करते हुए कहा कि गंभीर बीमारियों के कारण गरीबों के घर, खेत, जमीन बिक जाया करते थे किंतु आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज हो रहा है। जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की ताकत है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना संगठन की जिम्मेदारी है। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री व खजनी विधायक श्रीराम चौहान का भी संबोधन हुआ। संचालन भाजपा जिला उपाध्यक्ष व अभियान जिला संयोजक छोटेलाल मौर्य ने किया। बैठक में चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ल, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गुलाब रूवज उर्फ महंत सिंह, नित्यानंद पांडेय आदि उपस्थित रहे।

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा क्लाइंट आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा बस्ती, ब्रान्च आफिस प्रथम तल मकान सं०–1323, मोहल्ला – पिकौरा शिवगुलाम, कटेश्वर पार्क के पास गांधीनगर बस्ती 272001 उ०प्र० की तरफ से सूचित किया जाता है कि श्री सुभाष चन्द्र पुत्र राजा राम यादव ग्राम –कुचूरूपुर पोस्ट पिकौरा, गौर, बस्ती उ०प्र०–272163 ने एक बैनामा 4094 वर्गफीट का स्थित गाटा नं०–116 मौजा – खोराखार, तप्पा – हवेली, तहसील – बस्ती, परगना –बस्ती पूरब, जनपद–बस्ती, जिसकी चौहद्दी – पूरब में–जमीन श्याम सुंदर, पश्चिम में – कच्चा सड़क 12 फिट चौड़ा व जमीन मुकिर। उत्तर में – जमीन सोहन चौधरी, दक्षिण मे जमीन राम उग्रह, इसको बंधक रखने बैंक अथवा संस्था को प्रश्नगत सम्पत्ति में आपत्ति हो तो इस प्रकाशन के 7 दिन के अन्दर आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर दे अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि किसी भी व्यक्ति / संस्था को उपरोक्त संस्था व बैंक को बंधक रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

(प्रग्यांशु शुक्ला एडवोकेट)
L.G.F.–011, निचली भूतल, A1 बिल्डिंग
ब्लाक – A, सेक्टर–59 नोएडा उ०प्र०
पिन कोड–201301
मो०–8920298602

अदालती नोटिस

जो०च० आकार पत्र 6–क [(नियम–26 (3)]
नोटिस
[धारा –9 क (2) के अधीन]
पुस्तक संख्या. नियम 109 क्रम संख्या.
....
वाद संख्या–TB109क (2) वर्ष 2026 न्यायालय– श्रीमान चकबन्दी अधिकारी सोनूपार बस्ती जिला बस्ती
रामपाल आदि
बनाम
अमरनाथ
1. अमरनाथ पुत्र सीताराम निवासी ग्राम नरसिंहपुर तप्पा बेलवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे सामने भूमि के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व संयुक्त दोनों का विभाजन और गाटों, पेड़ो, कूंओ तथा अन्य समुन्नितियों के मूल्य का अवधारण करने के लिये एक वाद रजिस्टर दाखिल किया गया है। आपको एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि चकबन्दी अधिकारी सोनूपार बस्ती 30–10–2026 को में 10 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या यथावत अधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित हो। यदि आप उपस्थित न होंगे तो विवाद आपकी अनुपस्थिति में निर्णीत कर दिया जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय के मुहर से दिनांक को जारी किया गया।
चकबन्दी अधिकारी
सहायक चकबन्दी अधिकारी
मण्डल (सर्किल)....

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान चकबन्दी अधिकारी मुण्डेरवा बस्ती जिला–बस्ती
टी०बी० 139 / 2022
वाद सं०– / 2018
कं०वाद सं०–2022551714040151
चन्द्र प्रकाश
बनाम
मुन्नीलाल
1. मुन्नीलाल पुत्र बुधई साकिन अकेला कुबेरपुर तप्पा जगरनाथपुर परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 10–11–2026
हरगाह मुद्दई
मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई० पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 10 माह 11 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 24 माह 10 सन 2026 ई० जारी किया गया।
–द० हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान चकबन्दी अधिकारी मुण्डेरवा बस्ती जिला–बस्ती
टी०बी० 138 / 2022
वाद सं०–202255 / 2018
कं०वाद सं०–2022551714040150
चन्द्र प्रकाश
बनाम
मंगल प्रसाद
1. मंगल प्रसाद पुत्र ज्वाला प्रसाद साकिन सुकरौली तप्पा जगरनाथपुर परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 10–11–2026
हरगाह मुद्दई
मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई० पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 10 माह 11 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 24 माह 10 सन 2026 ई० जारी किया गया।
–द० हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान चकबन्दी अधिकारी मुण्डेरवा बस्ती जिला–बस्ती
कायमी सं० / 281
वाद सं०– / 2018
चन्द्र प्रकाश
बनाम
बलदेव आदि
1. बलदेव पुत्र लुटावन 2. सहदेव 3. त्रिभुवन 4. वाबूलाल 5. हीरालाल पुत्रगण लुटावन 6. श्यामसुन्दर 7. दीनदयाल 8. पंचदेव पुत्रगण मधुवन साकिनान मौजा बड़वारे तप्पा जगरनाथपुर परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 9. चन्द्र प्रकाश 10. श्याम नरायन 11. सूर्यनारायन 12. देवनरायन 13. रवि प्रकाश पुत्रगण राम आसरे साकिनान मौजा अकेला कुबेरपुर तप्पा जगरनाथपुर परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 14. बलराम 15. मनीराम 16. जयराम 17. मुनीराम पुत्रगण गनपत साकिनान मौजा अकेला कुबेरपुर तप्पा जगरनाथपुर परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 18. राजमन पुत्र छोटई साकिन अकारी तप्पा जगरनाथपुर परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 10–11–2026
हरगाह मुद्दई
मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई० पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 10 माह 11 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 24 माह 10 सन 2026 ई० जारी किया गया।
–द० हाकिम

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सुभाष चन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व० निरंजन प्रसाद पाण्डेय निवासी खोरहवा पोस्ट गांधीनगर जनपद–बस्ती का निवासी है। प्रार्थी की पत्नी स्व० रुक्मिणी पाण्डेय ने एक Life Insurance Plan की पालसी ली थी जिसमें हम प्रार्थी नामनी है, जिसमें मेरा नाम सुभाष है, लेकिन हम प्रार्थी का नाम सुभाष व सुभाष चन्द्र पाण्डेय दोनों नाम हम एक ही है, जिससे हमें दोनों नामों से ही जाना व पहचाना जाये। प्रकाशन इसलिए करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।
प्रार्थी
सुभाष चन्द्र पाण्डेय

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान चकबन्दी अधिकारी मुण्डेरवा बस्ती जिला–बस्ती
कायमी सं० / 282
वाद सं०– / 2018
चन्द्र प्रकाश
बनाम
चन्द्रभूषण आदि
1. चन्द्रभूषण पुत्र रामदुलारे 2. सत्यनरायन पुत्र रामदुलारे 3. चतुर्भुज पुत्र रामदुलारे 4. राजबहादुर पुत्र विशारे 5. रामचन्दर पुत्र टिबुल 6. श्रीराम पुत्र टिबुल 7. जगराम पुत्र टिबुल 8. राधेश्याम पुत्र टिबुल 9. घनश्याम पुत्र टिबुल साकिनान मौजा सुपहा तप्पा जगरनाथपुर परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 10. श्याम नरायन 11. सूर्य नरायन 12. रवि प्रकाश 13. देवनरायन पुत्रगण रामआसरे साकिन सुपहा तप्पा जगरनाथपुर परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 10–11–2026
हरगाह मुद्दई
मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई० पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 10 माह 11 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 24 माह 10 सन 2026 ई० जारी किया गया।
–द० हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरमज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई०)
कं० वाद सं०–D2024171630001565
धारा 30 (2) उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर जिला सिद्धार्थनगर
अब्दुल मोईद चौधरी आदि
बनाम
सरकार
बावत ग्राम बभनीताल तप्पा हाटा परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर
1. मुनीर पुत्र रमजान 2. नरेन्द्र कुमार पुत्र महावी 3. जयराम पुत्र छोटे 4. शोहरत पुत्र कलपनाथ 5. श्रीमती अनाप पत्नी कलपनाथ 6. अजहर पुत्र मुस्तकीम 7. अनवर पुत्र मुस्तकीम 8. नजीर पुत्र शाकिर समस्त निवासीगण ग्राम बभनीताल तप्पा हाटा परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर
तारीख पेशी 25–11–2026
वाजेह हो कि जर्नादन ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 25 माह 11 सन 2026 ई० बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्ताई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 13 माह 10 सन 2026 ई० जारी किया गया।
द० हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चर्तुमुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com